

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 46/2017-18 (रेलवे) ...68.../भूअ0 गोड्डा दिनांक :- ...10/1/19...

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800MW ताप विद्युत परियोजना के लिए रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण हेतु मौजा- कानाडीह, थाना नं0- 512-514, अंचल- गोड्डा, जिला- गोड्डा में कुल- 1.371 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.371 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- कानाडीह, थाना नं0- 512-514, अंचल- गोड्डा, जिला-गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	280	निजी	धानी III	0.029	0.0073	श्री यादव, पिता- धमसुं यादव	337, 277	281, 282	264	279
2						0.0073	महेन्द्र यादव, पिता- धमसुं यादव				
3						0.0036	सुबोध यादव, पिता- मंगन यादव				
4						0.0012	ब्रमदेव यादव, पिता- सकल यादव				
5						0.0012	कामदेव यादव, पिता- सकल यादव				
6						0.0012	देवेन्द्र यादव, पिता- सकल यादव				
7						0.0018	सहदेव यादव, पिता- हफ्लू यादव				
8						0.0018	अभियन्द्र यादव, पिता- हफ्लू यादव				
9						0.0036	प्रमोद यादव, पिता- नथन यादव				
10	27	278	निजी	धानी III	1.209	0.1209	मो0 डेना बेसरा, पति- मुसो मुर्मू	266	280	267	265
11						0.0151	महादेव मुर्मू, पिता- गुरु मुर्मू				
12						0.0151	संझला मुर्मू, पिता- गुरु मुर्मू				
13						0.0101	बबलू मुर्मू, पिता- प्रधान मुर्मू				
14						0.0101	देवीलाल मुर्मू, पिता- प्रधान मुर्मू				

15					0.0101	दर्शन मुर्मू, पिता- प्रधान मुर्मू				
16					0.0302	सोम मुर्मू, पिता- योलो मुर्मू				
17					0.0302	भैया मुर्मू, पिता- योलो मुर्मू				
18					0.0605	ईश्वर मुर्मू, पिता- सुफल मुर्मू				
19					0.0605	महलाल मुर्मू, पिता- सुफल मुर्मू				
20					0.1209	पानो हेम्ब्रम, पति- गुरु मुर्मू				
21					0.1209	मालोती मुर्मू, पिता- लाठे मुर्मू पति- ताला टुडू				
22					0.3022	पकु हॉसदा, पति- स्व० लखन मुर्मू				
23					0.3022	दुली बासकी, पति- स्व० अर्जुन मुर्मू				
24	277/337	निजी	धानी II	0.091	0.0074	मो० वर्धा, पति- स्व० रतन प्र० यादव	336	280	277	278
25	266	निजी	धानी I	0.042	0.0074	नकुल प्र० यादव, पिता- सूरजू मांझी (मृत)	मौजा सीमा	278, 267	269	265
26					0.0074	मो० मनी देवी, पिता- स्व० जलधर मांझी				
27					0.0074	मो० कोशलया देवी, पति- दशरथ मांझी (मृत)				
28					0.0049	मो० मंजु देवी, पति- स्व० युगल यादव				
29					0.0049	शंकर यादव, माता- स्व० जोगनी देवी पिता- बिरजू यादव				
30					0.0025	सुरेन्द्र यादव, पिता- स्व० नंदकिशोर यादव				
31					0.0025	भुनेश्वर यादव, पिता- स्व० नंदकिशोर यादव				
32	35				0.0055	भैरव कु० यादव, पिता- उचितलाल यादव				
33					0.0055	अवध कु० यादव, पिता- उचितलाल यादव				
34					0.0028	निरंजन यादव, पिता- सूचितलाल यादव				
35					0.0028	नवल किसोर यादव, पिता- सूचितलाल यादव				
36					0.0028	जनार्दन यादव, पिता- सूचितलाल यादव				
37					0.0028	रणधीर कु० यादव, पिता- सूचितलाल यादव				
38					0.0111	मनकलता देवी, पति- जगदीश प्र० गोप				
39					0.0111	बनारसी प्र० यादव, पिता- स्व० ब्रदी प्रसाद यादव				
40					0.0221	सुधीर कुमार अमर, पिता- सिंघेश्वर प्र० यादव				
41					0.0221	राजेन्द्र प्र० यादव, पिता- भादो मांझी				
				कुल रकवा :-	1.371	1.3710	एकड़			

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।


मौजा- कानाडीह, थाना नं०- 512-514, अंचल- गोड्डा, जिला- गोड्डा में कुल- 1.371 एकड़ यानि हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये है :-

क्रमांक	पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू० पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11/02/2019 से 20/02/2019 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते हैं एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बँटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।


उपायुक्त
गोड्डा।


ज्ञापांक 68 / भू०अ० दिनांक :- 10/1/19।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- IT Manager, DPMU (Revenue), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 68 / भू0अ0 दिनांक :- 10/1/19 ।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा में अंकित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा में अंकित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोड्डा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
गोड्डा।

ज्ञापांक : 68 / भूअ0 दिनांक : 10/1/19

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संचाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
गोड्डा।